यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजकुमार बनाम नवलेश मु.नं.– 23/24 किस्म – T.E.	
13.11.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/11/25 को पेश हो।	
27.11.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.12.25 को पेश हो।	
16.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 17,18 की तलबी तामील मूल दावे के अनुसार मानी जाने के लिए निवेदन किया। इस प्रा. पत्र T.E. से सम्बद्ध मूल दावा एवं इस प्रा. पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 17,18 की तामील मूल दावा में हो चुकी है। अतः अप्रार्थी सं. 17,18 की तामील मूल दावे के अनुसार इस प्रा. पत्र T.E. में भी मानी जाती है। अप्रार्थी सं. 17,18 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र T.E. दिनांक 01.01.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
30.12.25 प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र बाबत मिसल तलबी एवं प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 23 नियम 1 उपनियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बाबत पत्रावली पूर्ण रूपेण प्रत्याहरण एवं	राजकुमार अग्रवाल s.d. 30/12/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की ... हुए
	राजकुमार बनाम अवधेश मु.नं.– 23/24 किस्म – T.वि.	
	नया वाद प्रस्तुत करने पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। स्वयं प्रार्थी एवं उनके वकील ने जरिये प्रा.पत्र दावा अवगत कराया कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादी/प्रार्थी के समक्ष नये तथ्यों का प्रकटीकरण हुआ है जिस कारण वादी इस पत्रावली को पूर्ण रूपेण प्रत्याहरण कर नये तथ्यों के प्रकटीकरण के आधार पर नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत पत्रावली पूर्ण रूपेण प्रत्याहरण करने एवं नया दावा प्रस्तुत करने स्वीकार किया जाकर इस पत्रावली की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली में दिनांक 8.5.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	